भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 532

दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

लॉकडाउन का प्रभाव

532. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः

श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लॉकडाउन के कारण निर्यात क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या विनिर्माण, होटल और आतिथ्य सत्कार उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या अनलॉक 01 के उपरांत इन क्षेत्रों के उबरने के संकेत दिखाई दिए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) अप्रैल–जून, 2020 अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में भारत के समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुएं जोड़ सेवा) में 25.42 प्रतिशत की गिरावट आयी है। व्यापारिक वस्तुओं का नवीनतम निर्यात अगस्त 2020 में निर्यात की गिरावट घटकर (–) 12.66 प्रतिशत होने से आगे बहाली को दर्शाता है। देशव्यापी लॉकडाऊन के बाद अर्थव्यवस्था के धीरे–धीरे खुलने के साथ औद्योगिक गतिविधियां सामान्य होने लगी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जून, 2020 माह के लिए जारी किया गया औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के त्वरित आकलन अप्रैल, 2020 और मई, 2020 में क्रमशः 53.6 आर 89.5 की तुलना में 107.8 है।

(घ) सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए हैंः

(i) कोविड–19 के कारण विदेश व्यापार नीति (2015–20) की वैधता एक वर्ष अर्थात् 31.3.2021 तक बढ़ा दी गई है और छूट प्रदान की गई है और समयसीमा बढ़ाई गई है।

(ii) शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण योजना एक वर्ष अर्थात् 31.03.2021 तक बढ़ायी गयी है।

(iii) लाइन मंत्रालयों ने विविध क्षेत्रीय प्रोत्साहन पैकेज अधिसूचित किए हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) और की स्टार्टिंग सामग्रियों (केएसएम)/ड्रग इंटरमीडियेट्स और सक्रिय दवा सामाग्रियों (एपीआई) के लिए फार्मा विभाग द्वारा पीएलआई स्कीम।

(iv) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा एफटीए उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

(v) कृषि, बागवानी, पशुपालन, मात्स्यिकी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों से संबंधित कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु एक व्यापक ''कृषि निर्यात नीति'' कार्यान्वयन के तहत है।

(vi) 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों के लिए विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने के द्वारा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना और उसमें विविधता लाना।

(vii) जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करने के द्वारा निर्यात हब के रुप में जिले को बढ़ावा देना, इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए अडचनों को दूर करना, जिले में रोजगार पैदा करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करना।

(viii) माल, सेवाओं और कौशल विकास के लिए अनिवार्य तकनीकी मानकों को अपनाने/कार्यान्वयन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।

(ix) हमारे व्यापार, पर्यटन, प्रोद्योगिकी और निवेश के लक्ष्य को बढ़ावा देने हेतु विदेश में भारत मिशनों को ऊर्जा प्रदान करना।

(x) घरेलू उद्योग का समर्थन करने क लिए विविध बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में राहत उपायों के माध्यम से, विशेष रुप से एमएसएमई के लिए, जिनका निर्यात में प्रमुख हिस्सा है, पैकेज की घोषणा की गई है।

***